न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा **आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/172/2021
सी एन आर नंबर :- RJBD140003932021

निर्णय दिनांकः- 10.03.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 44/2020 अन्तर्गत धारा 143, 448, 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**1. हेमराज** पुत्र बीरबल आयु 35 वर्ष, **2. मेघराज** पुत्र अमर आयु 32 वर्ष, **3. भरतलाल** पुत्र जगदीश आयु 29 वर्ष निवासीगण कोशाली पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर (राज.) एवं **4. लक्ष्मण** पुत्र बाबूलाल आयु 24 वर्ष निवासी टोकसपुरा पुसिल थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मोहम्मद शरीफ, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	29.02.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	03.03.2020
आरोप पत्र की तिथि	20.10.2021
आरोप के विरचना की तिथि	02.12.2024 व 07.12.2024
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	02.01.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	10.03.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**हेमराज**	-	-	धारा 143, 448, 427 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-
2.	**मेघराज**	-	-	धारा 143, 448, 427 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-
3.	**भरतलाल**	-	-	धारा 143, 448, 427 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-

4.	लक्ष्मण	-	-	धारा 143, 448, 427 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	जगराम	फर्द तहरीरी रिपोर्ट व नक्शा मौका
अभियोजन साक्षी-2	हिमांशु शर्मा	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-3	नीतू	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-4	हनुमान	फर्द नक्शा मौका व फर्द फोटोग्राफी
अभियोजन साक्षी-5	जसराम	फर्द नक्शा मौका व फर्द फोटोग्राफी
अभियोजन साक्षी-6	आसिफ	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	हरिराज सिंह	अनुसंधान साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	फर्द तहरीरी रिपोर्ट	अभि. साक्षी–1
2.	प्रदर्श पी-2	चाक एफ.आई.आर.	अभि. साक्षी–1
3.	प्रदर्श पी-3	फर्द नक्शा मौका	अभि. साक्षी–1, 4, 5, 7
4.	प्रदर्श पी-4	फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल	अभि. साक्षी–1, 4, 5, 7
5.	प्रदर्श पी-5	प्रमाण–पत्र धारा 65बी साक्ष्य अधि.	अभि. साक्षी–1, 7
6.	प्रदर्श पी-6	फोटोग्राफ	अभि. साक्षी–1
7.	प्रदर्श पी-7	फोटोग्राफ	अभि. साक्षी–1

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श डी-1	बयान धारा 161 सी.आ.पी.सी. हिमांशु शर्मा	अभि. साक्षी–2

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित

			द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव प्रार्थी जगराम द्वारा थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ़ के समक्ष एक रिपोर्ट पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 44/2020 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 143, 448, 427 भा0द0सं0 में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रकरण के संक्षिप्ततः तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी जगराम द्वारा पेश रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि प्रार्थी का जयनिवास गांव के पास कोटा–लालसोट मेगा हाईवे पर ढाबे का निर्माण चल रहा है। दिनांक 29.02.2020 की देर रात करीब 12–01 बजे के बीच की घटना है। यहां पास में ही स्थित आसिफ खान उसके चाचा के ढाबे पर टोल प्लाजा के निकट चाय पी रहा था। पीछे से भरतलाल, मेघराज, हेमराज व लक्ष्मण एवं अन्य तीन–चार लोग जीप व पिकअप लेकर आए। जीप संख्या आर.जे.25 यू.ए. 3903 थी। उसने देखा कि वे लोग मौके पर निर्माणाधीन ढाबे पर रखे करीब 30 कट्टे सीमेंट, करीब 09 क्विंटल लोहे के सरिये, पाइप आदि ले जा रहे थे। इन लोगों ने वहां मौजूद नलकूप में लगी विद्युत मोटर को भी बाहर निकालने की कोशिश की। जब वह नहीं निकली, तो नलकूप में पत्थर भर दिये और ढाबे पर रेलिंग तथा पक्की दीवार को तोड़ दिया तथा कोटा स्टोन व पत्थर की पट्टियां, सीमेंट की जाली को भी तोड़ दिया। जब आसिफ खान ने शोर मचाया, तो वे लोग वाहनों में सवार होकर सवाई माधोपुर की ओर भाग निकलने में कामयाब हो गये। आसिफ व एक अन्य चश्मदीद हिमांशु शर्मा ने भी इन लोगों को अच्छी तरफ पहचान लिया.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पूर्वोक्त प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 143, 448, 427 भा0द0सं0 में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143, 448, 427 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथम दृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 जगराम, पी.ड.02 हिमांशु शर्मा, पी.ड.03 नीतू, पी.ड.04 हनुमान, पी.ड.05 जसराम, पी.ड.06 आसिफ व पी.ड.07 हरिराज सिंह को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 से प्रदर्श पी.07 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी.01 को प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्तगण ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाये।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 29.02.2020 को रात्रि के करीब 12–01 बजे ग्राम जयनिवास के पास, कोटा–लालसोट मेगा हाईवे पर स्थित प्रार्थी जगराम के ढाबे पर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर साशय उसके सदस्य बने रहते हुए ढाबे पर बिना प्रार्थी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर ढाबे की रेलिंग, पक्की दीवार, कोटा स्टोन व पत्थर की पट्टियों, सीमेंट की जालियों आदि को तोड़–फोड़ कर रिष्टि कारित की ?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड.01 जगराम ने कथन किया है कि आज से करीब 5–6 साल पहले की बात है। वह अपने गांव दुब्बीबनास में था। उसे सुबह उसके ढाबे के कर्मचारी आसिफ ने बताया कि उसके कोटा लालसोट हाईवे पर स्थित ढाबे पर हेमराज, मेघराज, पुखराज, लक्ष्मण, गोलू, अजय ने ढाबे पर रात्रि में तोडफोड कर दी है। उसने सुबह जाकर देखा तो वहा पर स्थित बोरिग में पत्थर भर रखे थे, ढाबे पर लगी सीमेट की जालिया तोड रखी थी। काउटर पर स्थित पट्टीया तोड दी थी। सामने वाली बाउंड्री पर पिलर को गिरा दिया था। पानी की टंकी की टूटिया तोड रखी थी। वहा पर उसे हिमाशु मिला जिसने उसे बताया कि रात्रि में वो वहा से निकलकर जा रहा था, जिसने उपर बताये गये लोगों को ढाबे पर तोड–फोड करते हुए देखा था। तोडफोड में उसे करीब एक–डेढ लाख रूपये का नुकसान हुआ था। उसके द्वारा दर्ज करवायी गयी तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी 2, नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 3, फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल प्रदर्श पी 4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा फोटोग्राफ के संबध में दिया गया 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 5, घटनास्थल के फोटोग्राफ प्रदर्श पी 6 व पी 7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जो शामिल पत्रावली है।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड.02 हिमांशु शर्मा ने कथन किया है कि 29.02.2020 की रात को करीब 12–1 बजे की बात है। वह सवाईमाधोपुर जा रहा था। रास्ते में जगराम का ढाबा पडता है जिसमें काम चल रहा था। वह इटटे भी वही सप्लाई करता था। उसने जगराम के ढाबे के बहार एक बिना नंबरी बोलेरो गाडी व एक कार खडी देखी थी। वह गाडी के पास गया तो बोलेरो मै भरतलाल बैठा हुआ था। तथा ढाबे पर मेघराज, हेमराज, अजय, लक्ष्मण, पुखराज, गोलू भी थे। उसने भरतलाल से जगराम के ढाबे के बारे में पूछा तो उसने उससे कहा कि तू यहा से निकल जा। वह दूर से देख रहा था कि वे लोग ढाबे पर उत्पात मचा रहे थे, हेमराज ने ढाबे की दीवार पर धक्का मारा था। इन लोगों ने शराब पी रखी थी, उससे बदतमीजी करने लगे तो वह वहा से निकल गया। अगले दिन वह सुबह ढाबे पर पहुचा तो उसे जगराम ढाबे पर मिला। ढाबे पर तोड फोड हो रखी थी, बोरिगं में पत्थर भरे हुए थे। फिर वह जगराम के साथ थाने पर गया जहा रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड.03 नीतू ने कथन किया है कि वह ग्राम मोहनपुरा की रहने वाली है, उसने जगराम को किरायेनाम जमीन दी थी। फिर कुछ समय बाद उसने जगराम को जमीन बेच दी। जिसकी उसने रजिस्ट्री करवायी थी। बाद मे उसे पता चला की ढाबे पर तोड–फोड कर दी गयी है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड.04 हनुमान ने कथन किया है कि आज से करीब 5–6 साल पहले पुलिस ने जयनिवास ढाबे का मौका मुआयना किया था एवं विडियोग्राफी की थी। नक्शामौका प्रदर्श पी 03 व विडियोग्राफी प्रदर्श पी 04 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड.05 जसराम ने कथन किया है कि आज से करीब 5–6 साल पहले पुलिस ने जयनिवास ढाबे का मौका मुआयना किया था एवं विडियोग्राफी की थी। नक्शामौका प्रदर्श पी 03 व विडियोग्राफी प्रदर्श पी 04 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड.06 आसिफ ने कथन किया है कि उसे प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुल्जिमान रात को ढाबे पर आए हों और मारपीट की हो, तो उसे जानकारी नहीं है। उसने कोई घटना नहीं देखी।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड.07 हरिराज सिंह ने कथन किया है कि वह दिनांक 03.03.2020 को थाना इन्द्रगढ़ में ए.एस.आई के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा संख्या 44/2020 अर्न्तगत धारा 379 भा.दं.सं0 का अनुसंधान एस.एच.ओ साहब ने उसे सुपुर्द किया था। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा बयान फरियादी जगराम, गवाह आसिफ, हिमांशु शर्मा, नीतूबाई, के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व किये थे। दिनांक 04.03.2020 को फरियादी जगराम की निशानदेही से रूबरू गवाहान जसराम व हनुमान के समक्ष घटनास्थल का नक्शामौका मूर्तिब किया था, जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक 04.03.2020 को फरियादी जगराम द्वारा घटनास्थल की फोटोग्राफी करवायी थी। जिसके द्वारा फोटो पेश करने पर फर्द फोटोग्राफी बनाई थी, जो प्रदर्श पी 4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने फरियादी जगराम को 65बी साक्ष्य अधिनियम के तहत नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी 5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विक्रयपत्र की फोटोप्रति पेश की थी, जो

शामिल पत्रावली है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान मेघराज, भरतालाल, लक्ष्मण, हेमराज, के विरूद्व जुर्म धारा 143,448,427, भा.दं.सं. का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एस.एच.ओ साहब को सुपुर्द की थी।

16. **उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य का यदि समग्र रूप से अवलोकन किया जावे, तो** प्रार्थी जगराम ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 में दिनांक 29.02.2020 की देर रात करीब 12–01 बजे के बीच की घटना उसके ढाबे पर घटित होना बताई है, परन्तु न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान प्रार्थी पी.ड.01 जगराम ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे सुबह उसके ढाबे के कर्मचारी आसिफ ने मुल्जिमान द्वारा कारित घटना की जानकारी दी। उसने मौके पर सुबह जाकर देखा था। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वक्त घटना परिवादी पी.ड.01 जगराम घटनास्थल पर मौजूद नहीं था व अपने ढाबे के कर्मचारी आसिफ द्वारा उसे घटना की जानकारी दी गई, जिसके आधार पर उसके द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 प्रस्तुत की गई।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से मौके पर मौजूद सर्वाधिक महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी आसिफ को पी.ड.06 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य के दौरान स्पष्ट कथन किया है कि उसे प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुल्जिमान रात को ढाबे पर आए हों और मारपीट की हो, तो उसे जानकारी नहीं है। उसने कोई घटना नहीं देखी। इस प्रकार प्रकरण का महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी पी.ड.06 आसिफ अपनी साक्ष्य के दौरान अभियोजन कथानक की लेशमात्र भी पुष्टि नहीं करता है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी.ड.2 हिमांशु शर्मा हालांकि अपनी साक्ष्य के दौरान मुल्जिमान द्वारा ढाबे पर उत्पात मचाये जाने, हेमराज द्वारा ढाबे की दीवार पर धक्का मारे जाने एवं मुल्जिमान द्वारा उससे बदतमीजी किये जाने पर उसके वहां से निकल जाने के कथन तो किये गये है, परन्तु साथ ही आगे अगले दिन सुबह तोड़–फोड़ देखे जाने का भी कथन किया गया है, ऐसे में उक्त साक्षी की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास प्रकट होता है।

18. उक्त साक्षी पी.ड.02 हिमांशु शर्मा की साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे, तो प्रार्थी पी.ड.1 जगराम ने अपनी साक्ष्य व तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 में उसे ढाबे के कर्मचारी आसिफ द्वारा ही

घटना के बारे में अवगत करवाया गया। इस क्रम में पी.ड.6 आसिफ की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे, तो उसके द्वारा कहीं भी हिमांशु शर्मा की मौके पर उपस्थिति के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। ऐसे में साक्षी पी.ड.02 हिमांशु शर्मा के कथनों में गंभीर विरोधाभास होने के साथ–साथ उक्त साक्षी की वक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थिति भी संदेहास्पद प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में पी.ड.02 हिमांशु शर्मा की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

19. इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी पी.ड. 03 नीतू अपनी साक्ष्य के दौरान घटना की जानकारी होने से स्पष्ट इंकार किया गया है। हालांकि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड.07 हरिराज सिंह द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान स्वयं द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया गया है, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित प्रार्थी सहित अन्य महत्वूपर्ण साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं किये जाने से अनुसंधान अधिकारी पी.ड.07 हरिराज सिंह की साक्ष्य मात्र औपचारिक प्रकृति की रह जाती है। ऐसे में उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

20. अतः अभियोजन पक्ष की ओर से आई साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे अन्तर्गत धारा 143, 448, 427 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 29.02.2020 को रात्रि के करीब 12–01 बजे ग्राम जयनिवास के पास, कोटा–लालसोट मेगा हाईवे पर स्थित प्रार्थी जगराम के ढाबे पर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर साशय उसके सदस्य बने रहते हुए ढाबे पर बिना प्रार्थी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर ढाबे की रेलिंग, पक्की दीवार, कोटा स्टोन व पत्थर की पट्टियों, सीमेंट की जालियों आदि को तोड़–फोड़ कर रिष्टि कारित की। अतः अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 143, 448, 427 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

21. परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण 1. हेमराज** पुत्र बीरबल आयु 35 वर्ष, **2. मेघराज** पुत्र अमर आयु 32 वर्ष, **3. भरतलाल** पुत्र जगदीश आयु 29 वर्ष

निवासीगण कोशाली पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर (राज.) एवं **4**. लक्ष्मण पुत्र बाबूलाल आयु 24 वर्ष निवासी टोकसपुरा पुसिल थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 143, 448, 427 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

22. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करे।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

23. निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़